कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश, भोपाल

क्रमांक/ 3,142 भोपाल : दिनांक 3/11/01

प्रति,

समस्त वन संरक्षक,
समस्त वन मण्डलाधिकारी,
मध्यप्रदेश ।

विषय : विभिन्न वन अधिनियमों के अन्तर्गत जप्त शुदा वाहन / उपकरण आदि को राजसात करने की प्रक्रिया के संबंध में ।

संदर्भ : प्रधान मुख्य वन संरक्षक(संरक्षण कक्ष)का पत्र कमॉक 3009 दिनांक 1–11–1997, क0 3253 दिनांक 2–12–1997, क0 3304 दिनांक 17–12–1997 क0 468 दिनांक 18–2–1999 एवं क0 202 दिनांक 11–8–1999

कृपया संदर्भित पत्रों का अवलोकन करें । स्पष्ट निर्देशों के बाबजूद भी प्राधिकृत अधिकारियों के व्दारा वाहनों के राजसात के प्रकरणों में विधि संगत प्रक्रिया एवं कार्यवाही नियमानुसार नहीं की जा रही है ।

इस संबंध में आपका ध्यान निम्न बिन्दुओं की ओर पुनः आकृष्ट करते हुये तदनुसार कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं :–

(1) जैसे ही वन अपराध के संबंध में कोई वाहन जप्त किया जाय तो उसकी सक्षम अधिकारी /कर्मचारी व्दारा तत्काल जॉच की जाय और यदि जॉच में वाहन वन अपराध में लिप्त पाया जाय और उसे राजसात किया जाना प्रस्तावित हो तो, सक्षम अधिकारी व्दारा उसकी सूचना निहित प्रारुप में प्राधिकृत अधिकारी को अविलंब दी जाय तथा इसकी प्रति वन मण्डलाधिकारी को भी दी जावे ।

(2) प्राधिकृत अधिकारी व्दारा प्रकरण के अध्ययन के आधार पर यह निर्णय लेने के उपरान्त कि प्रकरण वाहन को राजसात की कार्यवाही हेतु योग्य है, राजसात की कार्यवाही प्रारंभ की जायेगी । प्राधिकृत अधिकारी व्दारा जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में प्रकरण पंजीबध्द किया गया है , उस न्यायालय को निर्धारित प्रारुप में सूचना दी जावे तथा इस सूचना की प्रति वन मण्डलाधिकारी को भी दी जावे ।

(3) प्राधिकृत अधिकारी के व्दारा वाहन को जप्त करने की सूचना सक्षम न्यायालय को देने के साथ ही वाहन के राजसात करने की प्रकिया प्रारंभ हो जाती है , अतः न्यायालय को सूचना देने के पश्चात राजसात करने की प्रकिया को पूर्ण किया जाना आवश्यक है एवं इस प्रकिया को बीच में अधूरा नहीं छोड़ा जा सकता । यहाँ यह स्पष्ट किया जाता है कि वाहनों को राजसात करने की प्रकिया में प्रकरण को प्रशमन (Compound) करने का कोई प्रावधान नहीं है, अतः प्राधिकृत अधिकारियों के व्दारा राजसात की प्रकिया में पारित किये गये आदेश में प्रशमन का उल्लेख किया जाना विधि संगत नहीं है । राजसात की कार्यवाही प्रारंभ होने पर प्राधिकृत अधिकारी स्पष्ट कारण दर्शाते हुए या तो वाहन को राजसात करने का आदेश करेगा अथवा वाहन को निर्मुक्त करेगा । महसूल/ भावजा/ प्रतिकार आदि अधिरोपित कर प्रकरण को प्रशमनित कर वाहन को निर्मुक्त करना विधि संगत नहीं है ।

(4) वाहन के राजसात की कार्यवाही एवं प्रकरण का प्रशमन अथवा न्यायालय में चालान की प्रस्तुति दोनों भिन्न–भिन्न कार्यवाही हैं, अतः वन अपराध के प्रकरण में लिप्त वन अपराधी से राजीनामा लेकर प्रशमन की कार्यवाही या न्यायालय में प्रस्तुतीकरण करने की कार्यवाही पृथक से की जाय तथा वाहन को राजसात करने की कार्यवाही समानान्तर रुप से की जानी चाहिए ।

(5) प्राधिकृत अधिकारी को सर्वप्रथम जप्त शुदा वाहन की रजिस्ट्रेशन बुक की जॉच कर उसके आधार पर वाहन मालिक की पहचान की जानी चाहिए । साथ ही वाहन मालिक के अलावा जिन व्यक्तियों से वाहन जप्त हुआ है उनकी भी पहचान कर लेनी चाहिए । इस प्रकार प्राधिकृत अधिकारी के व्दारा यह निर्णय लिया जायेगा कि प्रकरण में प्रतिवादी कौन–कौन हैं एवं प्रकरण में वाहन को राजसात करने की सूचना संबंधी कारण दर्शाओ सूचना पत्र किस–किस व्यक्ति को दिया जाना है। वाहन मालिक तथा वह व्यक्ति जिससे वाहन जप्त हुआ है उसे कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया जाना अपरिहार्य है ।

(6) प्राधिकृत अधिकारी के व्दारा वाहन मालिक एवं वह व्यक्ति जिससे वाहन जप्त किया गया हो को वाहन राजसात करने, बाबत कारण बताओं सूचना पत्र निहित प्रारुप में जारी किया जावे ।

(7) वाहन राजसात करने की प्रक्रिया प्रारंभ करने के साथ–साथ संबंधित क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी (आर0टी0ओ0) जिसके द्वारा जप्त शुदा वाहन का रजिस्ट्रेशन किया गया हो, को भी सूचित किया जाना चाहिये कि संबंधित वाहन के वन अपराध में लिप्त पाये जाने के कारण वाहन को राजसात करने की प्रकिया चल रही है तथा इस संबंध में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा अग्रिम सूचना प्राप्त होने तक आर0टी0ओ0 के द्वारा वन अपराध में लिप्त वाहन को किसी अन्य व्यक्ति के पक्ष में हस्तांतरित नहीं किया जाय एवं साथ ही इसे हस्तांतरित करने हेतु एन0ओ0सी जारी नहीं किया जावे ।

(8) वन अपराध में लिप्त वाहन के राजसात की प्रकिया में प्राधिकृत अधिकारी के द्वारा प्रत्येक प्रकरण में निम्नानुसार तीन नस्तियॉ बनाई जाना चाहिये :–

नस्ती क0 (1) वन अपराध प्रकरण से संबंधित समस्त मूल अभिलेख की नस्ती जिसमें वन अपराध प्रतिवेदन (पी0ओ0आर0) जप्तीनामा / पंचनामा आदि सम्मिलित हैं । कभी–कभी मूल अभिलेखों को न्यायालय में चालन करने हेतु आवश्यकता होती है अतः यदि प्रकरण में नयायालय में चालान प्रस्तुत किया जाना हो तो इन अभिलेखों की प्राधिकृत अधिकारी व्दारा प्रमाणित प्रतियॉ इस नस्ती में रखी जाना चाहिये ।

नस्ती क0 (2) प्रकरण से संबंधित पत्राचार की नस्ती जिसमें सम्मन आदि रखे जायेगें ।

नस्ती क0 (3) प्राधिकृत अधिकारी की केस डायरी नस्ती जिसमें न्यायालय को दी गई सूचना, वाहन मालिक एवं अन्य व्यक्तियों को जारी किये गये कारण बताओं सूचना पत्र, राजसात की प्रकिया के समय लिये गये बयान, वाहन मालिक के व्दारा प्रस्तुत अभ्यावेदन एवं प्राधिकृत अधिकारी व्दारा लिये गये निर्णय आदि मूलतः रखे जायेंगें ।

(9) यह देखने में आ रहा है कि यद्यपि वाहन राजसात करने की शक्ति भारतीय वन अधिनियम 1927 एवं मध्यप्रदेश विर्निदिष्ट वनोपज (व्यापार विनियमन) अधिनियम 1969 दोनों में है किन्तु प्रायः जप्तीकर्ता / प्राधिकृत अधिकारी भारतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 52 के अन्तर्गत ही आदेश पारित करते हैं जो कि कानूनी दृष्टि से सही नहीं है । अतः जिस अधिनियम् के अन्तर्गत मामला बनता है उसी के अन्तर्गत कार्यवाही करें ।

(10) प्राधिकृत अधिकारी को संबंधित अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों तथा प्रक्रिया का पालन करते हुए कार्यवाही करनी चाहिए और पूरे प्रकरण का विश्लेषण करते हुए स्पष्ट व Speaking order करना चाहिए ।

(11) यदि प्राधिकृत अधिकारी व्दारा सुनवाई के उपरान्त वाहन को निर्मुक्त किया जाता है , तो ऐसी स्थिति में प्राधिकृत अधिकारी अपने आदेश में इस बात का लेख करे कि वन संरक्षक / क्षेत्रीय अधिकारी व्दारा स्वमेव कार्यवाही की सीमा समाप्त होने तक वाहन, मालिक को नहीं दिया जावे, ताकि वन संरक्षक व्दारा स्वमेव कार्यवाही के दौरान वाहन विभाग के आधिपत्य में ही रहे ।

(12) कई स्थानों पर पब्लिक वाहनों में सफर करने वाली सवारियों के अपराध के लिये भी पब्लिक वाहन जैसे, बस आदि, को राजसात किया जा रहा है। बस कंडक्टर या चालक से सामान्यतः यह आशा नहीं की जाती है कि वह सवारियों के सामान की तलाशी ले । यदि किसी सवारी के सामान में कोई आपत्तिजनक वनोपज पाई जाती है तो उसके लिये सवारी जिम्मेदार है न कि वाहन का मालिक । इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि ऐसे वाहनों को राजसात करने की कार्यवाही तभी की जावे जब वन अपराध में बस के मालिक / चालक / कंडक्टर की मिली भगत प्रमाणित हो ।

(13) पूर्व में कतिपय न्यायालयों के निर्णयों से यह भ्रान्ति पैदा हो गई थी कि जिन प्रकरणों में प्राधिकृत अधिकारी व्दारा वाहन को मुक्त करने का आदेश दिया जाता है ,उनमें वन संरक्षक को स्वप्रेरणा से कार्यवाही करने का अधिकार नहीं है । उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश व्दारा रिट पिटीशन क्रमॉक 3972/ 1999 में अपने निर्णय दिनांक 22–2–2000 व्दारा यह स्पष्ट किया गया है कि वन संरक्षक की यह शक्ति वाहन मुक्त करने की स्थिति में भी उपलब्ध है । उच्च न्यायालय के आदेश की प्रति आपको पूर्व में क्रमॉक/संरक्षण/कक्ष–1/810 दिनांक 1–5–2001 से भेजी जा चुकी है ।

(14) मान0 सर्वोच्च न्यायालय व्दारा प्रकरण क्रमॉक क्रिमनल अपील नं0 668/2000 में दिनांक 17–8–2000 के निर्णय में निर्देशित किया गा है कि वन अपराधों में लिप्त वाहनों को सुपुर्दनामें पर नहीं छोड़ा जावेगा एवं यदि छोड़ना अति आवश्यक हो तो वाहन की कीमत के बराबर बैंक गारंटी ली जाकर ही ऐसा किया जावे । कृपया न्यायालय के इन निर्देशों का भी कड़ाई से पालन करें । आदेश की प्रति आपको क्रमॉक/संरक्षण/2914 दिनांक 16–11–2000 से भेजी जा चुकी है । बैंक गारंटी की

अवधि राजसात की प्रकिया में लगने वाले संभावित समय को ध्यान में रख कर तय की एवं यदि समय पर प्रक्रिया समाप्त न हो पावे तो गारंटी की अवधि भी आवश्यकतानुसार बढ़ाई जावे ।

(15) यह भी शिकायतें प्राप्त होती हैं कि कभी कभी प्राधिकृत अधिकारियों व्दारा जानबूझ कर त्रुटिपूर्ण प्रक्रिया अपना कर वाहन छोड़ दिये जाते हैं । वन संरक्षकों व्दारा ऐसे सहायक वन संरक्षकों के विरुध्द यह मानकर कार्यवाही प्रस्तावित नहीं की जाती है कि यह एक Quasi judicial प्रकिया है । यह धारणा सही नहीं है । कृपया सर्व संबंधित को सूचित करें कि यदि प्राधिकृत अधिकारी व्दारा कार्यवाही में जानबूझ कर नियमों / प्रकिया का पालन नहीं किया जाता या जानबूझ कर तथ्यों व परिस्थितियों को नजर अंदाज कर निर्णय लिया जाता है तो उनके विरुध्द सेवा नियमों के अन्तर्गत प्रकियानुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जावे । इस परिप्रेक्ष्य में आपके व्दारा वाहन मुक्त किये जाने के प्रत्येक प्रकरण की गंभीरता से समीक्षा किया जाना अति आवश्यक है ।

कृपया वन अपराध प्रकरणों में जप्तशुदा वाहनों के प्रकरणों में उपरोक्तानुसार कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित करें ।

कृपया इस पत्र की प्रति अधीनस्थ समस्त सहायक वन संरक्षकों तथा परिक्षेत्राधिकारियों को दें ।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
मध्यप्रदेश,भोपाल